

25 $\frac{7}{24}$

पत्रावली पेश हुई, प्रतिवाली सं. 6 की
कोर्ट से जवाब पेश किया गया, वर्षा
वादी उपरिष्ठ द्वारा, उनके द्वारा Order
23 Rule 1 पेश कर निवेदन किया कि
वे इस प्रतिवाली सं. 2 लगातार 6 के
बिना इस कोर्ट को दावा नहीं करना
चाहते हैं इत. प्रा. पत्र 23/1 एवम्
कोर्ट प्रति. सं. 2 से 6 की हद तक
वाद बिना करने की अनुमति दी जाये,
प्रा. पत्र कोर्टो 23 नियत। एवम्
किया जाता है। वर्षा प्राची को
संगोदित कोर्ट राइटन पेश करने की
हिदायत दी गयी। पत्रावली 29 $\frac{7}{24}$
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दोसा)

29 $\frac{7}{24}$

पत्रावली पेश हुई। बकालों द्वारा कार्य
स्थान/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई जब
आदेश की पत्रना में दिनांक... 3.1.23... 24
को पेश हो।

हस्ताक्षर

31 $\frac{7}{24}$

पत्रावली पेश हुई मूल दावा में निर्णय
पुष्क से लिया गया, प्रश्नात् 1। प्रकल
में वादी वकील द्वारा प्रा. पत्र 23/1
के लक्षण में संगोदित कोर्ट राइटन
पेश किया, जो शामिल गिसल किया गया,
शुक्ति मूल दावा में निर्णय पुष्क से
लिया जाय, मूल दावा पत्रावली में
संलग्न है इतलिय 28 प्रश्नात् 1। को
मूल दावा में जारी निर्णय दिनांक 31 $\frac{7}{24}$
की हद तक कॉम्प्लिश किया होना हो
पत्रावली कोर्टल शुनाल लोकल शामिल
इतल लोकल नमूना है कोर्ट हो।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दोसा)

